



## लोक उद्यम वभाग

### प्रलिस के लल

लोक उद्यम वभाग, महारतन, नवरतन, मनीरतन, प्राककलन समतल, सार्वजनक कषेत्र के उद्यम,

### मेन्स के लल

सार्वजनक उद्यम वभाग के कारु तथा इसे वतलत मंत्रालु के दलरे में लाने के नरुणु का महत्तु

## चरुा में कुुु?

हल ही में सरकार ने सार्वजनक उद्यम वभाग (Department of Public Enterprises-DPE) कु भारी उद्युग मंत्रालु के दलरे से हटाकर पुनः वतलत मंत्रालु के दलरे में ला दलल है ।

- वतलत मंत्रालु में अब छह वभाग हूंगे कुबकु DPE के मूल मंत्रालु, भारी उद्युग और सार्वजनक उद्यम मंत्रालु कु अब केवल भारी उद्युग मंत्रालु कहा कुललु ।

## प्रमुख वदु

सार्वजनक उद्यम वभाग के वषलत में:

- लोक उद्यम वभाग सभी कुंदरीु सार्वजनक कषेत्र के उद्यमू (Central Public Sector Enterprises-CPSEs) का नुडल वभाग है और CPSEs से संबधतल नीतलरु तैलर करता है ।
  - CPSEs ऐसी कुंपनलरु हू कुनलमें कुंदर सरकार या अनुु CPSEs कु प्रतुु कष हसलसेदलरी 51% या उससे अधकु है ।
- यह वषलष रूु से, CPSEs में नषलपादकता सुधार एवं मूलुांकन, सुवलततता तथा वतलतीु शकुतलरु के प्रतुुाुऑन और कारुमकु प्रबंधन के बारे में नीतगलत दशलानरुदलेश तैलर करता है ।
- इसके अलललल यह कुंदरीु सरकारी उद्यमू से संबधतल बहुत से कषेत्रू के संबध में सुचना एकतुर करता है और उसका रखरखलव भी करता है ।
  - यह अब आरुथकु मलमले, राजसुव, वुुु, वतलतीु सेवलरू और नवलश तथा सार्वजनक संपततल प्रबंधन वभाग (Department of Investment and Public Asset Management-DIPAM) के अललललल वतलत मंत्रालु में छटा वभाग हुुगल ।
- DPE कु वतलत मंत्रालु में सुथलनलतरतल कुल कुाने से CPSEs के पूंऑगलत वुुु, परसलंपततल मुदुरीकरण और वतलतीु सुवलसुथु कु कुशल नगरलनी में मदद मललुगी ।

पृषुठभूमल:

- तीसरी लुकसभल (1962-67) कु प्राककलन समतल (Estimates Committee) ने अपनी रपूरुट में, एक कुंदरीकुत समनुवु इकलई सुथलपतल करने कु आवशुुकता पर बल दललल था, कु सार्वजनक उद्यमू के प्रदरुशन का नरुतर मूलुांकन भी कर सके ।
- कुसलके परणलमसुवरूु वरुष 1965 में वतलत मंत्रालु के अंतरगत सार्वजनक उद्यम बूुरु (Bureau of Public Enterprises-BPE) कु सुथलपनल हुई ।
- वरुष 1985 में, BPE कु उद्युग मंत्रालु का हसलसल बनललल कुलल था । मई 1990 में BPE कु एक पूरण वभाग बनललल कुलल कुसल लुक उद्यम वभाग (Department of Public Enterprises- DPE) के रूु में कुलल कुलल है ।

प्रमुख कारु:

- सभी लोक उद्यमू (Public Sector Enterprises- PSEs) कु प्रभलवतल करने वाले सलमलनुु नीतलसलंबंधी मलमलू का समनुवु ।
- लोक उद्यमू का पुनरुगतन करने या बंद करने तथा उनके ललल तंतर से संबधतल सलललह देनल ।
- पुनरुदुधलर से संबधतल सलललह देनल ।

- सर्वोच्चक सेवानवृत्त योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में **कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण एवं उनका पुनर्वास** ।
- 'रत्न' का दर्जा देने सहित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का अन्य प्रकार का **वर्गीकरण** ।
  - CPSEs को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- **महारत्न, नवरत्न और मनीरत्न** । वर्तमान में 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 74 मनीरत्न CPSEs हैं ।

## CPSEs का वर्गीकरण

### श्रेणी

- महारत्न
- नवरत्न
- मनीरत्न

### शुरुआत

- CPSEs के लिये **महारत्न योजना** मई, 2010 में शुरू की गई थी, ताकमिगा **CPSEs को अपने संचालन का वसितार करने और वैश्विक दगिगजों के रूप में उभरने के लिये सशक्त बनाया जा सके** ।
- **नवरत्न योजना वर्ष 1997** में शुरू की गई थी ताकउन CPSEs की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं और **वैश्विक खलाडी बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन** करते हैं ।
- **मनीरत्न योजना की शुरुआत वर्ष 1997** में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल एवं प्रतस्पर्द्धी बनाने और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतगित उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी ।

### मानदंड

#### महारत्न:

- कंपनियों को **नवरत्न का दर्जा** प्राप्त होना चाहयि ।
- कंपनी को भारतीय प्रतभूत और वनियम बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नयामकों के अंतर्गत न्यूनतम नरिधारत सार्वजनिक हसिसेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहयि ।
- वगित तीन वर्षों की अवधि में **औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक** होना चाहयि ।
- पछिले तीन वर्षों में **औसत वार्षिक नविल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक** होना चाहयि ।
- पछिले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) **5,000 करोड़ रुपए से अधिक** होना चाहयि ।
- कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थति होनी चाहयि ।
- **उदाहरण:** भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लमिटिड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लमिटिड, कोल इंडिया लमिटिड, गेल (इंडिया) लमिटिड, आदी

#### नवरत्न:

- **मनीरत्न श्रेणी - I और अनुसूची 'A' के तहत आने वाली CPSEs**, जिन्होंने पछिले पाँच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटगि प्राप्त की है और छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो । ये छह मापदंड हैं:
  - शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ
  - उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैनपॉवर पर आने वाली कुल लागत
  - मूल्यहरास के पहले कंपनी का लाभ, वरकगि कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज
  - ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बकिरी पर लगा कर
  - प्रतशेयर कमाई
  - अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन
- **उदाहरण:** भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लमिटिड, हदिसुतान एयरोनॉटिक्स लमिटिड, आदी

#### मनीरत्न:

- **मनीरत्न श्रेणी- 1:** मनीरत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है ककंपनी ने **पछिले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया** हो तथा तीन साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जति किया हो ।
  - **उदाहरण (श्रेणी- I):** भारतीय वमिानपत्तन प्राधकिरण, एंटरकिक्स कॉर्पोरेशन लमिटिड, आदी
- **मनीरत्न श्रेणी- 2 :** CPSE द्वारा **पछिले तीन साल से लगातार लाभ अर्जति किया हो** और उसकी नविल संपत्तसिकारात्मक हो, वे मनीरत्न-II का दर्जा देने के लिये पात्र हैं ।
  - **उदाहरण (श्रेणी- II):** भारतीय कृत्रमि अंग नरिमाण नगिम (ALIMCO), भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लमिटिड (BPCL), आदी
- मनीरत्न CPSE को **सरकार के किसी भी ऋण पर ऋण / ब्याज भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक नहीं करनी चाहयि** ।
- मनीरत्न CPSE कंपनियों **बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर नरिभर नहीं होंगे** ।

## प्राक्कलन समिति

### परिचय :

- इसे प्रथम बार 1920 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित किया गया था लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली प्राक्कलन समिति वर्ष 1950 में स्थापित की गई थी।
- यह समिति बजट में शामिल अनुमानों की जाँच करती है तथा सार्वजनिक व्यय में 'अर्थनीति' का सुझाव देती है।
- संसद की अन्य वित्तीय समितियों में शामिल है - लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति।

### सदस्य:

- इसमें 30 सदस्य होते हैं तथा ये सभी सदस्य लोकसभा से होने चाहिये।
- सदस्यों को लोकसभा सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुना जाता है, ताकि सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिला जा सके।
- किसी मंत्री को प्राक्कलन समिति के सदस्य/अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है।
- इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के सदस्यों में से की जाती है।

### कार्य:

- यह समिति व्यय में मतिव्ययति और दक्षता की रिपोर्ट करने का प्रयास करती है।
- यह सुझाव देती है कि नीति या प्रशासनिक ढाँचे में क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं तथा मतिव्ययति एवं दक्षता लाने के लिये कनि वैकल्पिक नीतियों पर विचार किया जा सकता है।
  - इस समिति का कार्य वित्तीय वर्ष के दौरान निरंतर चलता रहता है तथा यह परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सदन को रिपोर्ट करती रहती है।
  - इसी कारण इस समिति को 'सत्त अर्थव्यवस्था समिति' भी कहा जाता है।

### स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस